COURT FEE कोर्ट फी भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

दो रुपये TWO RUPEES कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA Rs.2

दो रुपये TWO RUPEES कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA Rs.2

दो रुपये TWO RUPEES कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA Rs.2

(51)

निगरानी. प्र. क.– /2012

माननीय मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल , ग्वालियर

R. 751 - PBR/12

राजकुमार पिता कन्हैयालाल ठाकुर,
उम्र – 35 वर्ष, निवासी – ग्राम नादेड
तह. महू जिला इन्दौर (म. प्र)

--------- प्रार्थी

विरूद्ध

1– रामलाल पिता बलवन्त
उम्र – 63 वर्ष, निवासी – ग्राम कुवाली,
तह. महू जिला इन्दौर (म. प्र)
2– ओमप्रकाश पिता रामलाल,
उम्र – 41 वर्ष, निवासी – ग्राम कुवाली,
तह. महू जिला इन्दौर (म. प्र)

--------- प्रतिप्रार्थीगण

... आज दि. 29/3/12 को
29-3-12
कलर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी आवेदन धारा 50 म. प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत

निगरानीकर्ता/प्रार्थी द्वारा माननीय अधिनस्थ राजस्व न्यायालय अपर कलेक्टर (श्री आलोकसिंह) इन्दौर जिला इन्दौर के प्र. क. 14 निगरानी/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 6/2/2012 जो निम्न अधिनस्थ न्यायालय माननीय अनुविभागीय अधिकारी महू जिला इन्दौर (म. प्र) के प्र. क. 39 अपील/2009–10 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 26/7/2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी, से असंतुष्ट होकर यह निगरानी वैधानिक आधारो पर न्यायार्थ सादर प्रस्तुत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 751-पीबीआर/12

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-07-2018	1/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला इंदौर के प्रकरण क्रमांक 14 निगरानी/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 06.02.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपर कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी का आदेश विधिवत होने से स्थिर रखते हुए आवेदक की निगरानी निरस्त की गई है। 2/ आवेदक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय एवं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू द्वारा यह न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं कि 'स्वत्व संबंधी अवधारणा किये जाने बावत् सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार है', जबकि वास्तविक स्थिति प्रकरण के रिकार्ड पर मौजूद है कि अनावेदक क्र. 1 द्वारा आवेदक तथा अनावेदक क्रमांक 2 को प्रतिवादी पक्ष बनाकर सिविल वाद क्र. 39ए/2010 अतिरिक्त जिला न्यायालय में प्रश्नाधीन भूमि पर स्वत्व घोषणा प्रस्तुत किया है। इसके उपरांत भी अपर कलेक्टर द्वारा विधि का उल्लंघन करते हुए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी कहा गया कि अनावेदक क्र. 1 व 2 पिता पुत्र हैं, दोनों षड्यंत्रकारी हैं, पूर्णप्रतिफल प्राप्ति कर एवं आवेदक के विवादित भूमि का विधिवत कब्जा प्रदान करने के पश्चात् उनके द्वारा अपने षड्यंत्र को मूर्तरूप देने के परिणामस्वरूप पिता द्वारा अपने हस्ताक्षर न होना एवं पुत्र द्वारा इसकी स्वीकृति देना स्पष्ट करता है कि रामलाल द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न तरह से जानबूझकर हस्ताक्षर किये हैं। हस्ताक्षर परीक्षण एवं निर्धारण तथा घोषणा संबंधी क्षेत्राधिकार	

सिविल न्यायालय को है, राजस्व न्यायालय को नहीं। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय तथा म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा इस-सुस्थापित सिद्धांत की कि 'किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया संबंधी शिकायत अथवा टिप्पणी के संबंध में प्रथम तौर पर आपत्ति जांच का विषय होने से उसी न्यायालय में ली जा सकती है, जो उसी न्यायालय के जांच का विषय होने से उसी न्यायालय को क्षेत्राधिकार होता है, अन्य न्यायालय को नहीं' की स्पष्टतः अनदेखी करते हुए विवादित आदेश पारित किये गये हैं, जो अपास्त किये जाने योग्य हैं।

3/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है।

4/ अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में यह दूसरी निगरानी है। तहसील न्यायालय में फर्जी हस्ताक्षर की अनुविभागीय अधिकारी ने पुलिस एक्सपर्ट से जांच के निर्देश दिये हैं। तहसील न्यायालय की कार्यवाही प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत होती है। एक्सपर्ट से हस्ताक्षर की जांच होने के उपरांत ही सही तथ्य सामने आयेगा।

अपर कलेक्टर के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर ने उनके समक्ष प्रस्तुत पहली निगरानी सही अमान्य की है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश यथावत् रखे जाते हैं, निगरानी निरस्त की जाती है।

अध्यक्ष